(28)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 882-दो/2007 - विरूद्ध आदेश दिनांक 9-3-2007 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 145/2006-07 अपील

1- श्रीमती चंपावाई पत्नि स्व.मुकुन्द प्रसाद
2- शिवप्रसाद पुत्र स्व.मुकुन्द प्रसाद
ग्राम अमरकंटक तहसील पुष्पराज
जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1- अनूपकुमार 2- संजयकुमार 3- अजयकुमार
पुत्रगण स्व. सत्यनारायण अग्रवाल
4- श्रीमती कमला देवी पत्नि सत्यनारायण
5- भीकमलाल पुत्र स्व. नत्थूलाल
सभी ग्राम कोतमा तहसील कोतमा जिला अनूपपुर ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एम0पी0भटनागर)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.बाजपेयी)
(अनावेदक-5 सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 4 - 10 -2017 को पारित)

अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 145/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-3-07 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत अपील प्रस्तुत की गई थी, किन्तु पक्षकार की मांग पर न्यायदान की दृष्टि से अपील को निगरानी में परिवर्तित

कर यह आदेश मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पारित किया जा रहा है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनूप कुमार पुत्र सत्यनारायण ने तहसीलदार पुष्पराजगढ़ के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 115,116 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम अमरकन्टक की भूमि सर्वे कमांक 222/1 रकबा 2.50 एकड़ लक्ष्मीनारायण के नाम थी जिनकी मृत्यु उपरांत उसके वारिसान का नामांत्रण हुआ है। इस भूमि को कभी भी विकय आदि नहीं किया गया है परन्तु उक्त में से रकबा 1.19 एकड़ पर मुकुन्द प्रसाद ने किस प्रकार अपना नाम करवा लिया, जानकारी नहीं है। इसलिये मुकुन्द प्रसाद का नाम भूमि से हटाया जाय। तहसीलदार पुष्पराजगढ़ ने प्रकरण कमांक 35 अ-6-अ/ 2004-05 पॅजीबद्व किया तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 17-2-2005 पारित किया एंव रकबा 1.19 एकड़ पर मुकुन्द प्रसाद के दर्ज नाम को विलोपित करने का आदेश दिया। इस आदेश के अनुविभागीय अधिकारी पुष्पराजगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी पुष्पराजगढ़ ने प्रकरण कमांक 34/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 12-1072006 से अपील स्वीकार की एंव तहसीलदार पुष्पराजगढ़ का आदेश दिनांक 17-2-2005 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 145/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-3-07 से अपील स्वीकार करते हुये अनुविभागीय अधिकारी पुष्पराजगढ़ का आदेश दिनांक 12-1072006 निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभयं पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक कमांक 2 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ

न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनूप कुमार पुत्र सत्यनारायण ने तहसीलदार पुष्पराजगढ़ के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 115, 116 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर मांग की थी कि ग्राम अमरकन्टक की भूमि सर्वे कमांक 222/1 रकबा 2.50 एकड़ लक्ष्मीनारायण के नाम थी जिनकी मृत्यु उपरांत उसके वारिसान का नामांत्रण हुआ है। भूमि के किसी भी भू भाग को कभी भी विकय आदि नहीं किया गया है परन्तु रकबा 1.19 एकड़ पर मुकुन्द प्रसाद का नाम गलत तरीके से शासकीय अभिलेख में अंकित किया गया है, इसलिये उसका नाम भूमि से हटाया जाय। तहसीलदार ने हितबद्व पक्षकारों को सुना है एंव वास्तविकता की जांच करके आदेश दिनांक 17-2-05 में इस प्रकार निष्कर्ष दिया है :-

" आवेदक के पूर्वज एंव आवेदकगणों व्दारा अनावेदक के नाम कोई भूमि विकय नहीं किया गया है। त्रृटिपूर्ण उक्त आराजी में अनावेदक का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इस प्रकार आवेदक अपना दावा सिद्व करने में सफल रहा है। "

ठस प्रकार की स्थिति स्थिति स्पष्ट होने पर भी अनुविभागीय अधिकारी पुष्पराजगढ़ ने आदेश दिनांक 12-1072006 में त्रृटिपूर्ण निष्कर्ष निकालते हुये तहसीलदार के विधिवत् आदेश को निरस्त कर दिया, जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 9-3-07 से अनुविभागीय अधिकारी के त्रृटिपूर्ण आदेश को निरस्त करके अपील स्वीकार की है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 145/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-3-07 विधिवत् होने से यथावत् रखते हुये निगरानी निरस्त की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर